संख्या–4137 / 9–आ–3–2000–03 वि0 / 2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2– आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक : 06 सितम्बर, 2001

विषय : पर्यटन हित में विद्यमान होटलों में लिफ्ट लगाए जाने हेतु मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया में सरलीकरण।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन नीति, 1998 के अनुरूप प्रदान की जा रही रियायतों के क्रम में उत्तर प्रदेश होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट एसोशिएशन ने शासन से अनुरोध किया है कि पर्यटनों की सुविधा के लिए विद्यमान होटलों में लिफ्ट लगाने हेतु विकास प्राधिकरणों से अनुमति लिए जाने / मानचित्र स्वीकृत कराए जाने में छूट प्रदान की जाए। एसोशिएशन के उक्त अनुरोध पर पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की संस्तुति की गई है।

2. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होटल व्यवसाय को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से निर्माण अनुज्ञा की वर्तमान प्रक्रिया में सरलीकरण हेतु श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा–92 की उपधारा (2) तथा उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–41 की उपधारा (1) के अधीन निम्न निर्देश देते हैं :–

(I) विद्यमान होटलों में केवल लिफ्ट लगाए जाने हेतु आवश्यक आन्तरिक परिवर्तन से सम्बन्धित मानचित्र ''काउन्सिल आफ आर्कीटेक्चर'' में पंजीकृत वास्तुविद द्वारा यह प्रमाणित किए जाने पर कि प्रस्तावित निर्माण महायोजना / भवन उपविधि, संरचनात्मक स्थिरता तथा अग्निशमन सुरक्षा की अपेक्षाओं के अनुसार हैं, निर्धारित शुल्क सहित विकास प्राधिकरण में जमा किए जाने पर औपचारिक स्वीकृत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि विकास प्राधिकरण में मानचित्र जमा करने की रसीद ही मानचित्र स्वीकृति का प्रमाण–पत्र होगी। परन्तु जमा किए गये मानचित्र में नियमों का उल्लंघन पाए जाने की स्थिति में सम्बन्धित वास्तुविद को उत्तरदायी माना जाएगा तथा मौके पर निर्माण, जमा मानचित्र से भिन्न पाए जाने की स्थिति में, निर्माणकर्ता / भवन स्वामी को उत्तरदायी माना जाएगा और दोनों ही स्थितियों में नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(II) लिफ्ट लगाए जाने हेतु आवश्यक आन्तरिक परिवर्तन से भिन्न परिवर्तन हेतु सम्बन्धित मानचित्र निर्धारित शुल्क सहित आवेदक द्वारा स्वयं अथवा पंजीकृत वास्तुविद के माध्यम से विकास प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु जमा किया जा सकता है।

(III) कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन तात्कालिक प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या 4137 (1)/9–आ–3–2000–03 वि0/2000 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. महानिदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–329/15–1–1001/पी0टी0/2000 दिनांक 26.5.2000 के संदर्भ में।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, लखनऊ।
3. श्री बी0के0 गुप्ता, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश होटल एण्ड रेस्टारेन्ट एसोसिएशन, सेन्ट्रल होटल, अमीनाबाद, लखनऊ
4. अध्यक्ष समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
6. अध्यक्ष, उ0प्र0 आर्कीटेक्ट एसोसिएशन।
7. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

संख्या–4137(2)/9–आ–3–2001–03 वि0/2000 तद् दिनांक

प्रतिलिपि समस्त नियंन्त्रक प्राधिकारी एवं नियत प्राधिकारी, विनियामित क्षेत्रों की उपर्युक्त के क्रम में इस आशय से कि उक्त व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव